न्यायालय जिला कलक्टर, उदयपुर

पीठासीन अधिकारीः नमित मेहता आई.ए.एस

प्रकरण संख्या 01 / 2024 विविध

GCMS No. 2024/165

साहिना पिता याकुब खां निवासीः मावली, तहसील–मावली, उदयपुर

— प्रार्थी

बनाम

सरकार जरिये तहसीलदार, मावली, उदयपुर

— विपक्षी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 9 सपठित धारा 151 जा.दी.

उपस्थितः– श्री सम्पत सामोता, अधिवक्ता प्रार्थी

आदेश

दिनांकः– 23/06/2025

अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा एक प्रार्थना पत्र आदेश 9 नियम 9 सपठित धारा 151 जा.दी. का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि एक वाद वादी द्वारा प्रतिवादी के विरूद्ध माननीय न्यायालय आप में पेश किया गत पेश दिनांक 04.07.2023 को नियत थी। उक्त दिनांक को वादी की ओर से अधिवक्ता उपस्थित हुए थे लेकिन न्यायालय द्वारा वादी का वाद अदम हाजरी, अदम पैरवी में खारिज कर दिया गया। वादी द्वारा माननीय आप न्यायालय में उपस्थित होने में जानबुझकर चूक नहीं की है वादी उक्त दिनांक को आवश्यक कार्य से बाहर था और वादी के अधिवक्ता की ओर से सहायक अधिवक्ता उपस्थित थे। न्यायाहित में उक्त प्रकरण को पुनः नंबर पर लिया जाना आवश्यक है अन्यथा वादी अपने विधिक अधिकारों से वंचित हो जायेगा। नियत दिनांक 04.07.2023 को प्रकरण में ऐसी कोई प्रभावी कार्यवाही भी नहीं होनी थी जिससे वादी की उपस्थिति आवश्यक हो। प्रकरण 2020 से आप न्यायालय में विचाराधीन है और इस अवधि में वादी कई बार माननीय न्यायालय में उपस्थित हुआ है। आवश्यक कार्य से बाहर से वापस आने पर

जिला कलक्टर
उदयपुर

न्यायालय जिला कलक्टर, उदयपुर
प्र.स. 01/24 विविध
साहिना बनाम सरकार
GCMS No. 2024/165

वकील साहब से सम्पर्क किया तब प्रकरण के उक्त आदेश की जानकारी हुई। अतः प्रार्थना है कि वादी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर वाद को पुनः नम्बर पर लिये जाने का आदेश प्रदान फरमावें।

प्रार्थनापत्र पर प्रार्थी अधिवक्ता को सुना गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। मूल प्रकरण राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के तहत नाजायज कब्जे का होकर अपीलार्थी की अपील को पुनः तारीख पेशी पर नहीं लिया जाता है तो अपीलार्थी अपने विधिक अधिकारों से वंचित हो जायेगा। अतः प्रार्थी का प्रार्थनापत्र आदेश 9 नियम 9 सपठित धारा 151 जा.दी. रुपये 500/– की कोस्ट पर स्वीकार किया जाकर मूल प्रकरण 10/20 राजस्व मे आदेश दिनांक 04.07.2023 को अपास्त किया जाता है। प्रार्थी द्वारा राजकोष (मद संख्या 0070–60–800–12–00 अन्य शुल्क, अर्थ दण्ड तथा राजसा) में राशि जमा करा चालान की प्रति पेश करने पर प्रकरण को पुनः नम्बर पर लिये जाने के आदेश दिये जाते है।

पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद कार्यवाही दाखिल दफ्तर हो।

(नमित मेहता)
जिला कलक्टर
उदयपुर